

राजस्व वाद संख्या:-73/2023

छाजु बनाम अशोक कुमार वगै0

निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी 11(आर.ए.एस.)

मु0नं0 73/2023


01. छाजु पुत्र बख्ताराम जाति खाती निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला राजस्थान

02. सावीत्री देवी पुत्री बख्ताराम जाति खाती निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान हाल निवासी पत्नी श्री रामनिवास जाति खाती निवासी बच्चा
तहसील कोशली जिला रेवाड़ी हरियाणा

- वादीगण

बनाम

01. अशोक कुमार पुत्र केलाश जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
02. उम्मेद सिंह पुत्र केलाश जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
03. ओमप्रकाश पुत्र मातादीन जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
04. घनश्याम दत्तक पुत्र माला जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
05. जगदीश पुत्र प्रहलाद जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू
राजस्थान
06. जयकोरी पत्नी रणजीत जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू
राजस्थान
07. धर्मपाल पुत्र मातादीन जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू
राजस्थान
08. प्रितम कुमार पुत्र रामनिवास जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
09. विजेन्द्र सिंह पुत्र केलाश जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
10. भगवती देवी पत्नि केलाश जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान
11. महीपाल पुत्र मातादीन जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू
राजस्थान
12. मामकोर पत्नि मातादीन जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ जिला
झुन्झुनू राजस्थान



उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-73/2023
छाजु बनाम अशोक कुमार वगै०
निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

13. रतनलाल पुत्र रणजीत जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
14. रमेश पुत्र मातादीन जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
15. रविकुमार पुत्र रामनिवास जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
16. रामनरेश पुत्र किसनसहाय जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
17. लिछमण पुत्र इन्द्राज जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
18. लीलाराम पुत्र रणजीत जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
19. संजय कुमार पुत्र रामनिवास जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
20. सन्तकुमार पुत्र किसनसहाय जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
21. सुनिता पुत्री रामनिवास जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
22. सरोज पुत्री कैलाश जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
23. सरोज देवी पत्नि रामनिवास जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
24. सादूराम पुत्र प्रहलाद जाति जांगिड़ निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
25. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलोंदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
26. उपपंजियक अधिकारी उप पंजियन कार्यालय सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
27. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार साहब सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

- प्रतिवादीगण

उपस्थित:- वादीगण अधिवक्ता
प्रतिवादीगण अधिवक्ता


उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती यह कि भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा

राजस्व वाद संख्या:-73/2023

छाजु बनाम अशोक कुमार वगै०

निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

नम्बर 234 रकबा 0.33 हैक्टर, 235 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 9.76 हैक्टर वाके ग्राम उरीकी पटवार हल्का उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/16 गलत दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर वादीगण काबिज काशत हैं।

यह कि उपरोक्त दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 की राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 ने मौके श्पर अपने-अपने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन कर रखा है व काबिज काशत हैं।

यह कि वादीगण के बचपन में ही वादीगण के पिता बख्ताराम की मृत्यू हो चुकी थी व वादीगण की माता अपना हिस्सा त्याग कर वादी के पिता के भाई के साथ शादी कर रहने लगी थी वादीगण का लालन पालन इनकी दादी के द्वारा किया गया था। भू-प्रबन्धक विभाग के अधिकारियों के द्वारा वादीगण के पिता का नाम देहांत होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता के स्थान पर सादू व जीताराम के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई बल्कि जीताराम नाम का कोई व्यक्ति बख्ताराम के पैदा नहीं हुआ व बख्ताराम के एक पुत्र छाजु व एक पुत्री सावीत्री थी व जीताराम नाम का कोई व्यक्ति उक्त भूमि में कोई खातेदार है राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा सावीत्री के नाम दर्ज करना चाहिये था सावीत्री का नाम दर्ज ना कर उसके स्थान पर जीताराम दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है। इसलिये उक्त जीताराम पुत्र बख्ताराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर सावीत्री देवी पुत्री बख्ताराम दर्ज किया जाना आवश्यक व कानूनी है।

यह कि बख्ताराम की मृत्यू के बाद बख्ताराम की भूमि हिस्सा 1/16 बख्ताराम के (वादीगण) वारीसों के नाम दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बख्ताराम के वारीसान की सही जांच न कर उनके विधिक वारीसान छाजु व सावीत्री के नाम दर्ज न कर सादु, जीताराम पुत्र बख्ताराम हिस्सा 1/16 दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जिसको दुरुस्त करवाने के अधिकारी वादीगण हैं। जो कानून व न्याय संगत है।

यह कि वाद पत्र वर्णित दर्ज भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जीताराम पुत्र बख्ताराम हिस्सा 1/32 दर्ज रिकॉर्ड है जो राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलत दर्ज किया है इस नाम का व्यक्ति बख्ताराम के पैदा ही नहीं हुआ इसलिये उक्त व्यक्ति का हिस्सा हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त व्यक्ति के स्थान पर सावीत्री देवी पुत्री बख्ताराम के नाम वादी नम्बर 02 घोषणा करवाने की अधिकारी है जो कानून व न्याय संगत है। इसलिये वादी नम्बर 02 को हिस्सा 1/32 दर्ज रिकॉर्ड किये जाने की घोषणा फरमाई जावे व जीताराम पुत्र बख्ताराम का नाम गलत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज को हटाया जाना कानून व न्याय संगत है।

यह कि वाद में वर्णित दर्ज भूमि वादी नम्बर 01 का नाम छाजु पुत्र बख्ताराम दर्ज रिकॉर्ड होना था सैटलमेंट अधिकारी व कर्मचारियों ने गलती से साधु पुत्र बख्ताराम दर्ज

राजस्व वाद संख्या:-73/2023

छाजु बनाम अशोक कुमार वगै०

निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

रिकॉर्ड कर दिया जो कानूनन गलत है इसलिये साधु पुत्र बख्ताराम के स्थान पर छाजु पुत्र बख्ताराम दर्ज रिकॉर्ड किया जाना कानून व न्याय संगत है।

भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.33 हैक्टर, 235 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 9.76 हैक्टर वाके ग्राम उरीकी पटवार हल्का उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी नम्बर 01 साधु पुत्र बख्ताराम हिस्सा 1/32 के स्थान पर छाजु पुत्र बख्ताराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने व जीताराम पुत्र बख्ताराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सावीत्री पुत्री बख्ताराम को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी नम्बर 27 को आदेश फरमाया जाकर कि उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दिनांक 20.04.2023 को दर्ज किया गया एवं दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 29.05.2023 नियत की गयी। नियत पेशी दिनांक 01.09.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 04, 6 लगायत 08, व 11, 12, 14, 15, 17, 18, व 23 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया। दिनांक 15.03.2024 को तहसीलदार सूरजगढ़ से रिपोर्ट बाबत तहरीर जारी की गयी। उक्त रिपोर्ट दिनांक 27.05.2024 तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली आज दिनांक 25.04.2025 को पेश हुई। उक्त पत्रावली में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी नोटिस एवं प्राप्त रजि० डाक रसीद का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। एवं वकील वादी की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक अनुतोष वाद को डिकी किये जाने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 04, 6 लगायत 08, व 11, 12, 14, 15, 17, 18, व 23 की और से इकबालिया जवाब पेश होने से एवं शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से वाद वादी अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अंतिम डिकी किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी अंतिम डिकी किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.33 हैक्टर, 235 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 9.76 हैक्टर वाके ग्राम उरीकी पटवार हल्का उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी नम्बर 01 साधु पुत्र बख्ताराम हिस्सा 1/32 के स्थान पर छाजु पुत्र बख्ताराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने व जीताराम पुत्र बख्ताराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सावीत्री पुत्री बख्ताराम को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है। तहसीलदार


उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:-73 / 2023
छाजु बनाम अशोक कुमार वगै0
निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।


(श्रीमती सुमन देवी / आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-73/2023
छाजु बनाम अशोक कुमार वगै0
निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)

मु0नं0 73/2023
निर्णय दिनांक:- 25.04.2025

छाजु बनाम अशोक कुमार वगै0
दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 25.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.33 हेक्टर, 235 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 हैक्टर किता 13 कुल रकबा 9.76 हैक्टर वाके ग्राम उरीकी पटवार हल्का उरीका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी नम्बर 01 सादु पुत्र बख्ताराम हिस्सा 1/32 के स्थान पर छाजु पुत्र बख्ताराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने व जीताराम पुत्र बख्ताराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सावीत्री पुत्री बख्ताराम को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के हक की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ